नारायणी देवी — पन्नालाल 21/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र
19-6-18	पक्षकारों की फरीकैन उप० / उभय पक्षों के वकीलों ने निवेदन किया कि अपील के [illegible] दावे का निर्णय हो चुका। महकमा [illegible] धारा - 212 RTA के तहत पेश की है जिसके मूल दावे का निर्णय हो जाने से इस अपील में कोई औचित्य नहीं रहता [illegible] अपील अपीलांट [illegible] होने पर खारिज की जाती है। मुकमील मुजावली [illegible] दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर